

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: एफ 01-18/2021/विज्ञापन/1514

रायपुर, दिनांक : 20/09/2021

—:: विज्ञापन ::—

प्रकाशन की तारीख 23.09.2021

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 23.09.2021
से 12.10.2021 सायं 5.00 बजे तक।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक एफ 01-68/2020/विज्ञापन/2355, दिनांक 14.10.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के 300 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.(एस.) क्रमांक 514/2021 दायर कर छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम 6 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा और/या साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना प्रावधानित होने के आधार पर उक्त विज्ञापन को चुनौती दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में अंतरित आदेश पारित कर फिलहाल भर्ती पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में उक्त याचिका का निराकरण नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है तथा इसमें और समय लगने की संभावना है।

इन पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ के विज्ञापन क्रमांक एफ 01-68/2020/विज्ञापन/2355, दिनांक 14.10.2020 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है एवं भर्ती नियम "छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" में दी गई चयन प्रक्रिया के अनुरूप उक्त विज्ञापन के 300 पद एवं नवीन अनुमति प्राप्त 143, कुल 443 (बैकलॉग पद शामिल) चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर निम्नानुसार विज्ञापन जारी कर भर्ती के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं स्पष्ट किया जाता है कि जिन व्यक्तियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन में आवेदन किये गये थे उन्हें पुनः आवेदन करना होगा। विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर रिक्त पदों का वर्गवार विवरण नीचे तालिका में दर्शित है :-

पद का नाम	कुल रिक्तियों की संख्या					कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद					कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजन (OA, OL) के लिए वर्गवार आरक्षित पद					कुल योग
	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	योग	
चिकित्सा अधिकारी	237	69	114	23	443	71	20	34	6	131	6	3	6	3	18	443

Abbreviations used :- OA- One Arm, OL- One Leg

सामान्य नियम एवं शर्तें :- विज्ञापित पदों पर नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर विज्ञापन के साथ संलग्न सूची में उल्लेखित संस्थाओं पर ही की जावेगी। उक्त संस्थाओं की सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में अवलोकन किया जा सकता है।



← मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं →



1. पद का विवरण :-

पद का नाम	:-	चिकित्सा अधिकारी
सेवा श्रेणी	:-	द्वितीय श्रेणी – छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें)
वेतनमान	:-	56100–177500 (लेवल 12) 7वें वेतनमान अनुसार (वेतन बैंड 15600–39100 ग्रेड वेतन–5400/–) एवं समय–समय पर राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते। (विज्ञापन के कंडिका 7 अनुसार वेतन देय होगा)

2. शैक्षणिक अर्हताएं :-

- 2.1 एम.बी.बी.एस. उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी)।
- 2.2 छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के मेडिकल कांऊंसिल में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में 2 माह के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल कांऊंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- 2.3 अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का “प्रमाण-पत्र” ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।

3. आवेदन भरने की तिथि एवं प्रक्रिया :-

- 3.1 ऑन-लाईन आवेदन दिनांक 23.09.2021 से दिनांक 12.10.2021 को कार्यालयीन समय सायं 5.00 बजे तक विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in एवं <https://web.cgstate.gov.in/RMO> के माध्यम से भरे जा सकेंगे।
- 3.2 उक्त पद पर आवेदन करने हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क रुपये 500/– (रुपये पांच सौ मात्र) तथा आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क रुपये 400/– (रुपये चार सौ मात्र) देय अनिवार्य होगा।
- 3.3 विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 3.4 चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु ऑन-लाईन आवेदन व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश विभाग के वेबसाइट www.cghealth.nic.in में देखी व डाउनलोड की जा सकती है।
- 3.5 उक्त भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देश/आदेश/सूचना एवं अन्य जानकारियों विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर जारी किया जावेगा।

4. **आयु सीमा :-** अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



← मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं →



5. आरक्षण :-

- 5.1 उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेंगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। किन्तु विज्ञापन में जारी कुल रिक्त पदों की संख्या अपरिवर्तनीय होगा।
- 5.2 सेवा में भर्ती के समय "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के प्रावधान तथा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों (जैसे-महिला/दिव्यांग/अन्य) के आरक्षण हेतु समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे।
- 5.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी ही निःशक्तजन के आरक्षण हेतु मान्य होंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी को अनारक्षित श्रेणी का माना जायेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मूल जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से कराया जा सकता है।
- 5.4 आरक्षित वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम वाला जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 5.5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण-पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- 5.6 महिला अभ्यर्थियों/निःशक्त व्यक्तियों के लिए पद, शासन द्वारा समय-समय पर बनाए गए अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखे जाएंगे।
6. "छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013" एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगे।
7. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक 372/2016/वि/नि/चार/2020, दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश 21/2020) अनुसार सेवा में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जाएगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयनीत समस्त चिकित्सा अधिकारियों को तीन वर्षों की परिवीक्षा अवधि में उक्त वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा।



8. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों के विज्ञापन के साथ संलग्न रिक्त पदों की सूची (विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में उपलब्ध है) में ही चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जावेगी तथा परिवीक्षावधि के दौरान किसी भी स्थिति में पदस्थापना स्थान में संशोधन अथवा स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत स्थान परिवर्तन अथवा पदस्थापना स्थल में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित अभ्यर्थी को कदाचरण का दोषी मानते हुए बिना किसी कारण अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के पद से पृथक/सेवा समाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

9. **चयन हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया:-**

- 9.1 विज्ञापित पद संख्या एवं प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुरूप साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा।
- 9.2 साक्षात्कार कुल 100 अंको का होगा।
- 9.3 अनारक्षित वर्ग तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 9.4 अनारक्षित वर्ग तथा अनारक्षित उपवर्ग के जिन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में प्राप्तांक 33 अंकों से कम हो, उन्हें अनर्ह घोषित कर चयन प्रक्रिया से पृथक किया जाएगा।
- 9.5 आरक्षित वर्ग तथा आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 9.6 आरक्षित वर्ग तथा आरक्षित उपवर्ग के जिन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के प्राप्तांक 23 अंकों से कम हो, उन्हें अनर्ह घोषित कर चयन प्रक्रिया से पृथक किया जाएगा।
- 9.7 साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर समेकित प्रवीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- 9.8 आवेदक आवेदन करने मात्र से ही साक्षात्कार हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे।
- 9.9 साक्षात्कार के हेतु निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र जैसे – शैक्षणिक दस्तावेज एवं मेडिकल कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के मूल प्रति तथा 02 प्रति स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 9.10 दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 9.11 दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार की सूचना विभागीय वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) में दी जाएगी। व्यक्तिगत माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी।

10. **ऑन-लाईन आवेदन करने के संबंध में निर्देश/जानकारी :-**


- 10.1 उपरोक्त पदों पर आवेदन ऑन-लाईन पोर्टल (www.cghealth.nic.in एवं <https://web.cgstate.gov.in/RMO>) के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें समस्त प्रविष्टि आवेदक द्वारा स्वयं या किसी की सहायता से आवेदन कर सकता है।



← मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं →



- 10.2 ऑन-लाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा-निर्देश एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) में उपलब्ध है।
- 10.3 ऑन-लाईन आवेदन करने उपरांत आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर कर हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर आन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 10.4 आवेदन संबंधी एवं अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाईट (www.cghealth.nic.in) पर उपलब्ध है।
11. अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. द्वारा कराया जावेगा प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण/गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी/चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
12. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल/मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम्यक अन्य कोई भी शासकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-** छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडलों राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत होने की स्थिति में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. की नियुक्ति हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नियुक्ति हेतु मिशन संचालक/संचालक चिकित्सा शिक्षा की नियुक्ति हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा/अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय की नियुक्ति हेतु संबंधित अधिष्ठाता/डीएमएफ मद से नियुक्ति हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक/अन्य आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार ही मान्य किये जायेंगे।
14. विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन:-इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें, महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियोक्ता प्राधिकारी का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।


 संचालक
 स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़

